

1993

488



sale 350000/- marya-as 1st 30st 14000/-

03AA 813327

मूल्य 27 न अर्थात् अल्प भारतीय स्टाम्प
 अधिनियम (इन्डियन स्टाम्प ऐक्ट) 1899 की
 अनुसूची, भाग (क) में... 23...
 ...के अर्थात् अल्प भारतीय स्टाम्प मूल्य
 1 अनुसूची में अल्प भारतीय स्टाम्प अर्थात् नहीं।


Rs 350000
 XG 3600
 Total 250
 @ 1% 094
 3539-44

739
 31/1

तिष्ठान पदाभिप्राय
 31-1-07

उर्मिला देवी उर्फ चम्पा देवी
 39-9-06

धर्म की सेवा में प्रदत्त
 (अर्थात् 27 न 1993)



AF No. 295 to 299

लेख्यकारी- श्रीमती उर्मिला देवी उर्फ चम्पा देवी, पति श्री कृष्णा
 प्रसाद मोदी, जाति- मोदी, पेशा- गृहणी, राष्ट्रियता- भारतीय, साकिन
 मौजा- झुमरी तिलैया, वार्ड नं- 4, पन्नालय- झुमरी तिलैया, थाना-
 तिलैया, सब रजिस्ट्री, जिला रजिस्ट्री बो जिला- कोडरमा ।

witness

Pradeep Raval
 31-01-07



(2)

लेख्यधारी— (1) श्रीमती पुनम मोदी, पति श्री राजेश कुमार, (2) श्री राकेश कुमार, पिता श्री राम कृष्ण मोदी, दोनों जाति— मोदी, पेशा— गृहणी वो गृहस्थी, राष्ट्रीयता— भारतीय, साकिन मौजा— धमराय, पत्रालय— तिलैया डैम, थाना— जयनगर, सब रजिस्ट्री, जिला रजिस्ट्री वो जिला— कोडरमा ।

लेख्यप्रकार— विक्रय—पत्र "केवाला" वैयला कलामी ।

मुल्य— मोवलग 3,50,000 /— तीन लाख पचास हजार रूपया मात्र ।

भू:स्वामी— झारखण्ड सरकार, अंचल— कोडरमा ।

सालाना माल— मोवलग 30 तीस पैसा अलावे शेष ।

सम्पत्ति— मवाजी रकबा 5 पाँच डिसमिल यानी 2178 दो हजार एक सौ अठहत्तर वर्गफीट परती जमीन हकियत रैयती खरीदगी कायमी, अंदर खाता नं०— पुराना 292 दो सौ बानवे जिसका नया सर्वे खाता नं० 284 दो सौ चौरासी, वाके मौजा— तिलैया, थाना नं०— 244, अंदर नगरपालिका— झुमरी तिलैया, वार्ड नं०— 4, प्रगना— गुमो, थाना— तिलैया, सब रजिस्ट्री, जिला रजिस्ट्री वो जिला— कोडरमा ।

उमिमा देवी पुत्री चम्पा देवी
39.9.06

Witness
P. N. Singh Taiela
Kodarma
24/11/07



(3)

यह कि उपरोक्त खाते की भूमि लेख्यकारी को खुद वजरिये रजिस्ट्री केवाला के श्रीमती अरुणा मेहरा, पति श्री योगेन्द्र मेहरा, साकिन मौजा- झुमरी तिलैया, वार्ड नं०- 13, थाना- तिलैया से दिनांक 17.05.2006 को कोडरमा रजिस्ट्री ऑफिस के द्वारा हासिल है जिसका रजिस्ट्री बुक नं०- 1, भोलुम नं०- 43, पेज नं०- 57 से 70, दस्तावेज निबन्धन संख्या- 2486 वो तैयारी तिथि- 17.05.2006 है, खरीदी के बाद से लेख्यकारी अपनी उपरोक्त खरीदी भूमि पर खास दखलकार होकर वो रहकर चली आ रही हैं वो अभी हैं, आज-दिन तारीख में अपनी उपरोक्त खरीदी भूमि साथ लेख्यधारीगण के बिक्री करती हैं, बिक्री भूमि का पूरा विवरण नीचे दर्ज है ।

उमिता देवी उफि चाम्पा देवी
२५.१०.०६

बिक्री भूमि का पूरा विवरण

मौजा- तिलैया, थाना नं०- 244, अंदर नगरपालिका- झुमरी तिलैया, वार्ड नं०- 4, प्रगना- गुमो, थाना- तिलैया, जिला- कोडरमा ।

खाता नं०- पुराना 292 दो सौ बानवे जिसका नया सर्वे खाता नं० 284 दो सौ चौरासी ।




(4)

प्लॉट नं०- पुराना 3241 तीन हजार दो सौ एकतालीस जिसका नया सर्वे प्लॉट नं०- 7344 / 7889 सात हजार तीन सौ चौवालीस बटा सात हजार आठ सौ नेबासी, कुल रकबा 5 पाँच डिसमिल यानी 2178 दो हजार एक सौ अठहत्तर वर्गफीट के मधे बिक्री रकबा 5 पाँच डिसमिल यानी 2178 दो हजार एक सौ अठहत्तर वर्गफीट परती जमीन जिसका क्षेत्रफल इस प्रकार है- पुरब से पश्चिम जानिब उत्तर तरफ- 32'8", पुरब से पश्चिम जानिब दक्षिण तरफ- 32'8", उत्तर से दक्षिण जानिब पुरब तरफ- 66'8" वो उत्तर से दक्षिण जानिब पश्चिम तरफ- 66'8" तथा केवाला चौहद्दी इस प्रकार है- उत्तर- नगरपालिका रोड, दक्षिण- प्लॉट नं० 7344 / 7889 श्रीमती अरुणा मेहरा की जमीन, पुरब- पुर्व के लेख्यकारी श्रीमती अरुणा मेहरा के द्वारा छोड़ा गया प्लॉट नं० 7344 / 7889 में 12' का प्रस्तावित रास्ता वो पश्चिम- 7344 / 7889 श्रीमती अरुणा मेहरा की जमीन वाके है ।

जमा खाता- 1, जमा प्लॉट- 1, जमा रकबा- 5 पाँच डिसमिल यानी 2178 दो हजार एक सौ अठहत्तर वर्गफीट जमीन ।

बिक्री भूमि एन्ऍस्वऍं वो पटना-राँची रोड से 500 मीटर दूरी के बाद है ।

उत्तिला देवा दुर्गा जमा देवा
39. 2-06



(5)

विवरण— चूं मन लेख्यकारी अपने उपरोक्त भूमि को बिक्री करना चाहती थी, पता लगने पर लेख्यधारीगण खरीदने को तैयार हो गये तब दोनों पक्षों के बीच उपरोक्त भूमि का वाजिब मुल्य मोवलग 3,50,000/- तीन लाख पचास हजार रुपया तय हुआ जो कि लेख्यकारी वो लेख्यधारीगण दोनों पक्षों को मान्य है ।

यह कि आज दिन तारीख में लेख्यकारी, लेख्यधारीगण से मुल्य के कुल रुपये 3,50,000/- तीन लाख पचास हजार रुपया का भुगतान नगद पाकर मवाजी रकबा 5 पाँच डिसमिल यानी 2178 दो हजार एक सौ अठहत्तर वर्गफीट जमीन साथ लेख्यधारीगण के बिक्री की वो आज दिन तारीख से खास दखल देकर मालीक बना दिये ।

अब लेख्यधारीगण उपरोक्त खरीदी भूमि पर खास दखलकार होकर वो रहकर जोत आबाद किया करें या फिर उपरोक्त भूमि में मकान बनावें, कुँआ खोदें, मोरगेज करें या बिक्री करें यानी कि जिस तरह से फायदा समझें मय वारिसान अपने उपयोग में लाया करें ।

उमिता देवी उर्फ चम्पा देवी
29.9.06

(6)

यह कि लेख्यधारीगण उपरोक्त जमीन जो खरीद रही हैं उसमें लेख्यधारी नं० 1 का हिस्सा जानिब फुस्ब की तरफ का होगा तथा लेख्यधारी नं० 2 का हिस्सा जानिब पश्चिम तरफ का होगा ।

यह कि उपरोक्त बिक्री भूमि हर तरह की देनदारी वो नुक्स से बिल्कुल पाक वो साफ है अगर किसी भी तरह की देनदारी या नुक्स पाया गया तो इसके कुल देनदार को भागीदार लेख्यकारी वो उनके वारिसान होंगे ।

यह कि केवाला हाजा में लिखे मुल्य के कुल रूपये का भुगतान लेख्यधारीगण ने लेख्यकारी को कर दिया अब किसी तरह का कोई बकाया जिम्मे लेख्यधारीगण के नहीं रहा और ना हि अलग से कोई भुगतान रसीद बनाने की ही जरूरत रही ।

यह कि अब लेख्यधारीगण खरीदी भूमि केवाला को अपने अंचल से दाखिल खारीज कराकर वो सलामना मालगुजारी का भुगतान कर मालगुजारी रसीद अपने नाम से हासिल किया करें इसमें लेख्यकारी वो उनके वारिसान को भविष्य में कभी भी कोई उजुर या एतराज नहीं होगा इसलिए आज दिन तारीख में लेख्यकारी राजी-खुशी आनन्द मन से लेख्यधारीगण के पक्ष में बिक्रय पत्र केवाला लिख दिये जो कि समय पर काम आवे ।

उमिता देवी उषा चाम्पा देवी

39.9.06

01.10.10

(7)

धारा 6 के अनुसार, धारा 8 व 38 के अनुसार एवं धारा 10 व 11 के अनुसार मोकिर का नाम सिलिंग एक्ट में दर्ज नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है कि दस्तावेज का मूल प्रति एवं द्वितीयक प्रति एक-दूसरे का हु-ब-हु एवं सच्ची प्रतिलिपि है।

प्रारूपकर्ता


महावीर मोदी

महावीर मोदी, ताईद, ला०नं०- 5/98, कोडरमा,

प्रमाणित करता हूँ कि यह दस्तावेज मेरे द्वारा तैयार किया गया है तथा इस दस्तावेज में जिनका फोटो लगा हुआ है उनके पाँचों उँगलियों का निशान मेरे द्वारा लिखा गया है।

दिनांक- 31.01.07

Mohammedi
31-1-07



उमि ला देवा उषि७ चम्पा देवा
31. 9.08

[Faint handwritten notes and signatures]